सर्व शिक्षा अभियान
जब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011 (म. प्र.)

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95, 97, फैक्स : (0755) 2552363, 2552364

पत्र कं./राशिके/मॉनिट/2010/ 9725 भोपाल, दिनांक 23.11.10

प्रति,

1. *कलेक्टर*
   समस्त जिला
2. *मुख्य कार्यपालन अधिकारी,*
   समस्त जिला
3. *जिला शिक्षा अधिकारी,*
   समस्त जिला
4. *जिला परियोजना समन्वयक,*
   समस्त जिला

विषयः डायस डाटा 2010-11 की गुणवत्ता एवं समय-सीमा में डाटा संकलन के संबंध में।

संविधान के मूलभूत अधिकार के संबंध में संसद में निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित हुआ हैं। इसके तहत अब प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चे की प्रांरभिक शिक्षा उपलब्ध एवं पूर्ण कराने की संवैधानिक अनिवार्यता एवं बाध्यता सरकार की हैं। अनिवार्य प्रांरभिक शिक्षा का तात्पर्य हैं 100 प्रतिशत बच्चों का शाला प्रवेश, उनकी शत प्रतिशत उपस्थिति, तथा कक्षा 1 से 8 तक की गुणवत्तायुक्त शिक्षा पूर्ण कराना।

सत्र 2010-11 में जिले के डायस (DISE - District Information System for Education) डाटा की गुणवत्ता तथा समय-सीमा में डाटा संधारण के लिए निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करें:

1) **Access list (master School List) का संधारणः**

जिले में कक्षा 1 से 8 तक संचालित शासकीय एवं अशासकीय समस्त शालाओं की विकासखण्डवार एवं जनशिक्षा केन्द्रवार Access list (master School List) सूची का अद्यतन कर संधारण करें। जिले की समस्त अनुदान प्राप्त निजी, गैर अनुदान प्राप्त निजी, केन्द्र से मान्यता प्राप्त, केन्द्रीय विद्यालयों की सूची जिसका डायस प्रपत्रों के वितरण एवं भरे हुए प्रपत्रों के संकलन में इसका (like check list) उपयोग सुनिश्चित करें। यह सुनिश्चित करें कि यह सूची सभी विकासखण्ड एवं जनशिक्षा केन्दों को उपलब्ध रहे।

2) **सत्र 2010-11 के डाईस प्रपत्रों के भरने का प्रशिक्षणः**

शाला प्रभारी को डायस का महत्व एवं उपयोगिता समझाते हुए डायस प्रपत्रों का गहन प्रशिक्षण सुनिश्चित करें। डायस प्रपत्र में प्रत्येक बिन्दुओं/ प्रश्नों को ठीक प्रकार से स्पष्ट करते हुए प्रशिक्षण करना है, प्रत्येक शाला से दो शिक्षक इस हेतु प्रशिक्षित किये जाने चाहिए। प्रशिक्षण सह प्रपत्र भरने की कार्यवाही एक साथ की जाएगी अतः शाला प्रभारी रिकार्ड के साथ निर्धारित दिनांक को उपस्थित हो।

शासकीय शालाओं के लिए एजुकेशन पोर्टल से शिक्षक विवरण तथा नामांकन की जानकारी निकाल कर खाली डायस प्रपत्र में संलग्न करने के पश्चात् ही शाला को प्रेषित करें। तत्पश्चात् भरकर प्राप्त डायस प्रपत्र जानकारी को एजुकेशन पोर्टल पर अद्यतन करने के पश्चात् ही डायस साफ्टवेयर में इन्द्राज किया जाना है।

3) **20 नवम्बर 2010 से 05 दिसम्बर 2010 में डायस पखवाडाः**

इस अवधि में जिले की शत-प्रतिशत शालाओं (प्रारंभिक स्तर तक) की जानकारी डायस प्रपत्र में संकलित की जानी है। डायस पखवाड़े की गतिविधियां विस्तार से डायस वर्ष 2010-11 की समय सारणी में दी गई है।

जिले में शिक्षा विभाग एवं अदिवासी विकास विभाग को डाईस डाटा संकलन की प्रक्रिया में सम्मिलित करते हुए आवश्यक सहयोग लें। न्यूज पेपर अथवा टी.वी. मीडिया द्वारा सभी शाला को यह डायस डाटा भरने के विषय में सूचित करें। समय-सीमा में डायस प्रपत्र में जानकारी न प्रदाय करने वाली शालाओं के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही जिले स्तर पर सुनिश्चित करें तथा ऐसी शालओं की सूची किसी भी स्थिति में **14 दिसम्बर 2010 तक rskdisemp@gmail.com पर इ-मेल करें** तथा ऐसी शालाओं की सूची लोकल दैनिक समाचार पत्रों को उपलब्ध करावें।

निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 1 से कक्षा 8 तक संचालित समस्त शासकीय एवं निजी शालाओं की जानकारी डायस में भरी जाना अनिवार्य है। **शत-प्रतिशत शालाओं से जानकारी संकलन हेतु जिले के जिला परियोजना समन्वयक तथा एम.आई.एस. प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहेंगे।**

4) **सत्र 2010-11 के डायस डाटा की गुणवत्ताः**

भरे हुए डायस प्रपत्रों की गुणवत्ता सुनिशिचत करने के लिए 100 प्रतिशत प्रपत्रों की जॉच जन शिक्षा केन्द्र स्तर पर सुनिश्चित करना हैं **(भरे हुए डायस प्रपत्रों की जॉच के लिए चेक लिस्ट संलग्न हैं)**। 10 प्रतिशत विकासखण्ड स्तर पर तथा 5 प्रतिशत जिले स्तर पर भरे हुए डायस प्रपत्रों की भौतिक जॉच संबंधित शाला में जाकर की जाना सुनिश्चित करें। **सैम्पल चेकिंग किय गये शालाओं की जानकारी डायस कोड सहित 14 दिसंबर 2010 तक rskdisemp@gmail.com पर ई-मेंल पर उपलब्ध करावें।**

5 प्रतिशत सैम्पल चैकिंग की समरी रिर्पोटस डायस प्रपत्र प्रशिक्षण के समय सभी जिलों को उपलब्ध कराई गई है। डायस डाटा 2010-11 की गुणवत्ता सुनिश्चत करने में इसका अमल अवश्य सुनिश्चित करें।

5) **सत्र 2010-11 के डायस डाटा का कम्प्यूटराइजेशन (डायस प्रपत्रों की एन्ट्री):**

जिले के डायस का कम्प्यूटराइजेशन यथा संभव जिला शिक्षा केन्द्र एवं विकासखण्ड स्रोत कार्यालय में ही किया जाना हैं। डाटा एन्ट्री का कार्य बाहय ऐजेन्सी से करवाने की स्थिति में यह प्रयास करे कि एजेंसी जिला शिक्षा केन्द्र में ही एन्ट्री का कार्य करें, जिससे डाटा एन्ट्री की ठीक प्रकार से मॉनिटरिंग सम्भव हो सके।

डाटा एन्ट्री के समय डाटा एन्ट्री स्थल पर संबंधित जनशिक्षक/जन शिक्षा केन्द्र प्रभारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। डाटा एन्ट्री का कार्य विकासखण्ड समन्वयक/ जिला एम.आई. एस. प्रभारी / जिला डाटा एन्ट्री आपरेटर की निगरानी में ही किया जाना हैं। अतः प्रोग्रामर/ एम.आई.एस. प्रभारी प्रति सप्ताह सभी विकासखण्डों का दौरा कर प्रगति पर नजर रखेंगे।

यदि विकासखण्ड स्तर पर कम्प्युटर्स एवं कम्प्यूटर-स्टाफ उपलब्ध न हो तो कार्य के महत्व, समयसीमा एवं जिलों के कम्प्यूटर्स, कम्प्यूटर्स से संबधित स्टॉफ आदि की कमी को ध्यान में रखते हुए अधिकतमक कुल ₹ 5,000/- प्रति विकासखंड के मान से व्यय किये जा सकतें हैं। अधिकतम ₹ 10/- प्रति शाला डाटा एन्ट्री हेतु व्यय किये जा सकते हैं। वर्ष 2010-11 डाटा एन्ट्री पूर्ण होने के पश्चात, जन शिक्षा केन्द्र-वार तथा विकासखण्डवार भरें हुए प्रपत्रों का मुद्रण डायस साफटवेयर के माध्यम से की जाकर, संबधित शाला को भेज कर कम्प्यूटर में की गई एन्ट्री की जॉच की जाना हैं, संशोधन लाल स्याही से किया जावेगा। डाईस साफटवेयर से प्रपत्र के मुद्रण हेतु टोनर तथा पेपर हेतु प्रति शाला ₹ 10/- अधिकतम के मान से ₹ 10,000/- प्रति विकासखण्ड व्यय किये जा सकते हैं। उक्त राशि का व्यय जिला शिक्षा केन्द्र (एम.आई.एस.) के डाटा एन्ट्री के लिए प्रोफशनल फीस मद के स्वीकृत बजट में से किया जा सकेगा।

6) **सत्र 2010-11 डायस डाटा की जॉचः**

जिले के डार्यस डाटा की रिर्पोटस निकाल कर इसका विश्लेषण करे तथा 2009-10 एवं 2010-11 के डायस डाटा का रूझान (Trend) की जॉच कर लें। प्राप्त डायस डाटा का अन्य स्रोत से उपलब्ध डाटा से मिलान अवश्य कर लें। विशेषकर शासकीय शासकीय शालाओं में शिक्षकों की संख्या एवं दर्ज संख्या का मिलान एजुकेशन पोर्टल से करे, शालाओं की संख्या जिनको आकस्मिक निधि प्रदाय की गई, शाला भवनों, शिक्षण कक्षों (Class room), पीने का पानी की सुविधा, कॉमन शौचालय, बालिकाओं के लिए शौचालय आदि की संख्या। समस्त शासकीय शालाओं से उनका School report card सत्यापित करवा कर, सुधार उपरांत एक प्रति शाला को अवश्य उपलब्ध करावें। डायस क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने के लिए पी.टी.ए./एस.एम.सी. की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता हैं, साथ ही उनको संबंधित जानकारी से अवगत कराया जाना चाहिए।

जिला शिक्षा केन्द्र के एम.आई.एस. प्रभारी डाईस डाटा 2009-10 एवं 2010-11 की सभी विकासखंडों की रिपोर्टस (जो कि विकासखण्ड/जन शिक्षा केन्द्रवार होगीं) निकाल कर संबधित विकासखण्डों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

डायस के क्रियान्वन में पिछले वर्षो के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, जिले पर इसकी विस्तृत रणनीति तैयार कर पालन सुनिश्चित करें तथा राज्य शिक्षा केन्द्र को अवगत करावें। यह कार्य उच्च प्राथमिकता के साथ पूर्ण किया जाना हैं। जिससे 2011-12 के लिए जिले की वार्षिक कार्य योजना निर्माण के लिए आवश्यक डाटा एवं जानकारी उपलब्ध हो सकें। **30 जनवरी 2011 तक अनिवार्यः जिले का डायस डाटा 2010-11 राज्य शिक्षा केन्द्र को भिजवाना सुनिश्चित करें।**

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

पत्र कं./राशिके/मॉनिट/2010/ 9726 भोपाल, दिनांक 23.11.10

प्रतिलिपिः–

1. **जिला शिक्षा अधिकारी,** जिला समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. **सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास,** जिला समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. **समस्त ओ.आई.सी.** राज्य शिक्षा केन्द्र की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र